मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक 98/PS/UDH/PA/2020 दिनांक 04/05/2020

आदेश

गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार ऐसे नागरिक जो धार्मिक यात्रा, चिकित्सीय लाभ, विधार्थी अथवा सामान्य रूप से निवासरत नहीं रहते हैं, अगर वे अपने निवास स्थल पर जाना चाहते हैं, उनको जाने की अनुमति दिये जाने के निर्देश है।

वर्तमान में राज्य शासन को 2 श्रेणी के नागरिकों द्वारा आवागमन की अनुमति हेतु आवेदन किया जा रहे हैं इनके संबंध में गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र दिनांक 3 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया –

1) सामान्यतः अन्य राज्यों के निवासी :–

(अ) मध्यप्रदेश में धार्मिक यात्रा, अध्ययन, पारिवारिक सदस्यों से मिलने इत्यादि के लिए आये हुए यात्री जो अपने साधनों से प्रदेश के बाहर वापिस जाना चाहते हैं उनको ई–पास की सुविधा से अनुमति प्रदान की जावेगी। यह ई–पास मेप आईटी के पोर्टल https://mapit.gov.in/covid-19/ पर पंजीयन के उपरांत कलेक्टर के द्वारा जारी किये जावेंगे। उक्त प्रकार के पास जारी करते वक्त निम्न सावधानियां बरती जावें –

i. यथा संभव एक साथ सभी लोगों को अनुमति देने के बजाय शनैः–शनैः रूप से अनुमति दी जावे ।
ii. प्रत्येक ऐसी अनुमति में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वे वास्तव में सामान्य रूप से मध्यप्रदेश के किसी जिले के निवासी नहीं है तथा वे ई–पास का उपयोग प्रदेश के बाहर जाने के लिए करेंगे।
iii. वे स्वयं अपने वाहन की व्यवस्था करेंगे तथा वाहन का पंजीयन कमांक सहित आवेदन करेंगे।
iv. ऐसी अनुमतियां देते वक्त खाली वाहन के वापिस लौटने की अनुमति भी जारी की जा सकेगी ।

निरन्तर ... 2

v. ऐसे समस्त यात्री जो प्रदेश के बाहर यात्रा करेंगे, की राज्यवार संपूर्ण विवरण सहित जानकारी मेप आईटी द्वारा प्रतिदिन श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव को उपलब्ध करवायी जावेगी जो संबंधित प्रदेश को अवगत करवायेंगे।

2) **मध्यप्रदेश के निवासी किन्तु अन्य राज्यों में रूके हुए :-**

(अ) अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में जिला कलेक्टर/राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में आने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

(ब) मध्यप्रदेश के ऐसे निवासी जो अन्य राज्यों मे रूके हुए हैं तथा अपने साधन से वापिस मध्यप्रदेश आना चाहते हैं, तथा वे अगर हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान मे नहीं है तब ही उनको अपने साधन से आने की अनुमति ई-पास के माध्यम से जिला कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी ।

(स) मध्यप्रदेश के ऐसे निवासी जो हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में निवासरत नहीं है तथा जिनके पास अपने संसाधन भी नहीं है, उनको मध्यप्रदेश शासन द्वारा संबंधित राज्य शासन से समन्वय कर निर्धारित परिवहन के माध्यम से लाये जा सकेंगे। इस हेतु ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु ऐसे व्यक्तियों को सुविधाजनक तरीके से लाने व सम्पूर्ण विवरण के लिए मैप आईटी के पोर्टल पर पंजीयन करवाने की सुविधा निरंतर चालू रहेगी।

3) **मध्यप्रदेश के निवासी, मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में यात्रा करने बावत :-**

(अ) इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खण्डवा एवं खरगौन जिलों से मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में मेडीकल ईमरजेन्सी तथा मृत्यु व विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किये जावेंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के बाद भी इन जिलों के जिला कलेक्टर्स द्वारा अनुशंसा उपरांत राज्य शासन के स्तर पर ही ई-पास जारी किये जा सकेंगे।

(ब) प्रदेश के ग्रीन तथा ओरेंज जिलों से अन्य सभी जिलों में जाने की अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जा सकेगी ।

(स) प्रत्येक अनुमति का विवरण जिस जिले मे यह अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है, की जानकारी मेप आईटी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है जिसका उपयोग कर वे निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

निरन्तर .. 3

1. जिले में आने वाले नागरिकों का चिकित्सीय परीक्षण किया जावेगा। चिकत्सीय परीक्षण करवाने के उपरांत संदिग्ध कोरोना पोजिटिव पाये जाने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए Institutional Quarantine व असंदिग्ध पाये जाने पर Home Quarantine करवाया जावेगा ।
2. इन सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप/सार्थक ऐप डॉउनलोड करवाया जावेगा।

(संजय दुबे)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृष्ठा. क्रमांक 99/PS/UDH/PA/2020 दिनांक 04/05/2020